

विषय-सूची

प्राक्कथन	i
परिचय	iii
प्रस्तावना	vii
संक्षेपाक्षर	xiii
अध्याय 1	राज्य सभा विकास, शक्तियां और स्थिति 1
अध्याय 2	राज्य सभा की संरचना संवैधानिक उपबंध 18 चौथी अनुसूची (26 नवम्बर, 1949 की स्थिति के अनुसार) 19 चौथी अनुसूची (26 जनवरी, 1950 की स्थिति के अनुसार) 19 राज्य सभा—प्रारम्भिक गठन 20 चौथी अनुसूची—(1956 में यथासंशोधित) 21 संरचना में परिवर्तन 22 स्थानों का वर्तमान आवंटन 23
अध्याय 3	राज्य सभा की सदस्यता अर्हताएं 27 निरर्हताएं 28 संवैधानिक उपबंध 28 “लाभ के पद” शब्दों का प्रयोग 29 लाभ के पदों के संबंध में सांविधिक अपवाद 29 अतिरिक्त सांविधिक निरर्हताएं 30 निरर्हता के संबंध में निर्णय 32 दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता 32 अपवाद 33 निरर्हता के संबंध में निर्णय 33 दसवीं अनुसूची के अधीन बनाए गए नियम 34

	निर्वाचन 36
	एकल संक्रमणीय मत की प्रक्रिया 40
	नामनिर्देशन 43
	राज्य सभा के सदस्यों के लिए संसद् सदस्य का पदनाम 44
	पदावधि 45
	स्थानों का खाली होना 49
	वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाएं 56
अध्याय 4	राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी और अन्य संसदीय अधिकारी
	उपराष्ट्रपति पदेन सभापति 69
	उपसभापति 79
	अल्पकालीन सभापति 84
	उपसभाध्यक्ष तालिका 85
	तालिका से बाहर के सदस्य द्वारा सभापतित्व 86
	उपसभापति/उपसभाध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं 87
	संसदीय समितियों के अध्यक्ष 88
	सदन का नेता 90
	विपक्ष का नेता 97
	मंत्री 101
	भारत का महान्यायवादी 106
	सचेतक 108
	महासचिव 109
अध्याय 5	संसद् के घटकों के पारस्परिक संबंध
	राष्ट्रपति और संसद् 125
	राष्ट्रपति संबंधी उपबंध 125
	सभा में प्रक्रियागत प्रतिबंध 132
	अभिभाषण के दौरान व्यवधान 133
	सदनों के पारस्परिक संबंध 134
	दोनों सदनों के बीच संवाद 135
	सदनों की संयुक्त बैठक 136

	अब तक हुई संयुक्त बैठकें 137
	प्रथा और प्रक्रिया द्वारा पारस्परिक संबंध 139
	सदनों के बीच विवाद 141
अध्याय 6	राज्य सभा के सत्र
	राष्ट्रपति द्वारा आह्वान 159
	सदस्यों को आहूत किया जाना 162
	सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना 168
	अनियत तिथि के लिए स्थगन 168
	निर्धारित समय से पूर्व अनियत तिथि के लिए स्थगन 168
	सत्रावसान और इसके प्रभाव 170
	राज्य सभा के कार्य पर लोक सभा के भंग होने का प्रभाव 172
अध्याय 7	राष्ट्रपति का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव और संदेश
	संवैधानिक उपबंध 179
	अभिभाषण की तारीख और समय 180
	अभिभाषण से संबंधित समारोह 180
	अवसर का महत्व 181
	अभिभाषण के दौरान अशांति उत्पन्न करने की घटनाएं 182
	अभिभाषण की विषय-वस्तु 183
	अलग बैठक और अभिभाषण की प्रति का रखा जाना 184
	अभिभाषण में किन्हीं त्रुटियों के संशोधनार्थ प्रक्रिया 185
	धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा अभिभाषण पर चर्चा 185
	धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे जाने वाले संशोधन 188
	राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाना 192
	राष्ट्रपति के संदेश और सभा को उनकी सूचना 192
	राष्ट्रपति और राज्य सभा के बीच संवाद 193
अध्याय 8	संसदीय विशेषाधिकार
	विशेषाधिकार का स्वरूप 197
	अवमान क्या है 197
	संवैधानिक उपबंध 198
	सांविधिक उपबंध 198
	प्रक्रिया संबंधी नियमों और पूर्व निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार 199

- सदन की पारिणामिक शक्तियां 199
- सदन की शास्तिक शक्तियां 199
- बोलने की स्वतंत्रता और न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति 199
- सदन में किसी सदस्य द्वारा प्रकट की गई बात के लिए उससे प्रश्न किया जाना 201
- बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार 202
- कार्यवाहियों के प्रकाशन को नियंत्रित करने का अधिकार 202
- कार्यवाही का समय पूर्व प्रकाशन 203
- कार्यवाही से निकाले गए अंशों का प्रकाशन 204
- कार्यवाही का मिथ्या-निरूपण 204
- सदन को अपनी कार्यवाही विनियमित करने का अधिकार 206
- दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 207
- गिरफ्तारी से स्वतंत्रता 209
- दांडिक अपराधों या निवारक निरोध विधियों के अधीन गिरफ्तारी 210
- निरुद्ध सदस्य का सत्र में उपस्थित होने का अधिकार 210
- न्यायालयों में साक्षी के रूप में उपस्थित होने से छूट 211
- सदन की प्रसीमा में विधिक प्रक्रिया की तामील और गिरफ्तारी से उन्मुक्ति 211
- सदस्यों की गिरफ्तारी, आदि की सूचना 212
- अभिरक्षाधीन किसी सदस्य के पत्र-व्यवहार को रोका जाना 214
- पुलिस/जेल प्राधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना 214
- सदस्यों को हथकड़ी लगाया जाना 216
- सदस्यों पर लांछन लगाया जाना 216
- सदन, इसके सदस्यों आदि पर आक्षेप लगाने वाले भाषण और लेख 217
- शपथ-पत्रों/रिटों में दिये गये विवरण 220
- सदस्यों पर हमला आदि 221
- सदस्यों को अभिन्नस्त किया जाना 221
- विशेषाधिकार का उल्लंघन या अवमान किये जाने पर दंड देने की सदन की शक्ति 221
- विशेषाधिकार का उल्लंघन या अवमान करने के लिए दंड 222
- दर्शक दीर्घा से विघ्न डालना 223
- सदन में जानबूझकर भ्रामक वक्तव्य देना 224
- ऐसे मामले जिनमें विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता 226

	राज्य सभा में उठाये गये विशेषाधिकार के कुछ विशिष्ट मुद्दे	228
	औचित्य का उल्लंघन	230
	विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने संबंधी प्रक्रिया	233
	एक सदन दूसरे सदन की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं करेगा	238
	सभापति द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना	239
	राज्य विधान-मंडल की किसी समिति के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए राज्य सभा के किसी सदस्य को बुलाये जाने संबंधी प्रक्रिया	240
	उच्चतम न्यायालय और विशेषाधिकार का मामला	241
	कानूनी प्रक्रिया	242
	विदेशी राष्ट्रिक के संबंध में विशेषाधिकार का सीमा क्षेत्र	242
	विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना	242
अध्याय 9	आचरण और संसदीय शिष्टाचार के नियम	
	सामान्य बातें	252
	दोषी सदस्य को दंडित किया जाना	253
	आचरण की भर्त्सना	253
	सदन से बाहर चले जाने का आदेश	254
	निलंबन	254
	निष्कासन	256
	प्रथाएं और परंपराएं	256
	सदन में पालनीय नियम	259
	बोलते समय कतिपय नियमों का पालन	265
	सदस्यों के विरुद्ध आरोप	269
	प्रश्नों को सभापीठ के माध्यम से पूछा जाना	269
	असंगत बातें कहना या बार-बार एक ही बात कहना	269
	सभापति के खड़े होने पर प्रक्रिया	270
	सदन के समक्ष विचाराधीन मामलों में सदस्यों का व्यक्तिगत हित होना	270
	सदस्यों के लिए आचार संहिता	271
अध्याय 10	राज्य सभा का राजनैतिक स्वरूप	
	सभापति का निदेश	278
	संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन राजनैतिक दल की सदस्यता	279

	निष्कासन और उससे किसी सदस्य की स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव	282
	मान्यता के बाद दी जाने वाली सुविधाएं	284
	राज्य सभा में दलों की बदलती रहने वाली स्थिति	287
अध्याय 11	राज्य सभा की बैठकें	
	बैठकों का नियत किया जाना	294
	बैठकों की अस्थायी सारणी	294
	शनिवार को बैठक	295
	छुट्टियों का मनाया जाना	295
	कुछ अवसरों पर बैठकों का नियत न किया जाना	297
	बैठकों का रद्द किया जाना	298
	किसी बैठक के आरंभ होने का समय	299
	कुछ विशेष अवसरों पर बैठक के प्रारंभ होने का समय	301
	किसी बैठक के प्रारंभ होने की प्रक्रिया	302
	बैठक के लिए गणपूर्ति	303
	मध्याह्न भोजन का अवकाश	306
	कुछ समय के लिए बैठक का निलम्बित किया जाना	307
	बैठक का समाप्त होना	309
	सभा को निर्धारित समय से पूर्व दिन-भर के लिए स्थगित किया जाना	310
	मध्य रात्रि के बाद भी बैठक का जारी रहना	311
	राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की धुन का बजाया जाना	312
	सभा का अनियत तिथि के लिए स्थगित किया जाना	313
	विशेष बैठकें	313
	राज्य सभा की पहली बैठक	313
अध्याय 12	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	
	वैधानिक उपबंध	320
	शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के पूर्व किसी सदस्य के अधिकार आदि	321
	शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की समय-सीमा	322
	शपथ/प्रतिज्ञान के लिए प्रक्रिया	322
	सभापति के कक्ष में शपथ/प्रतिज्ञान	325
	अवसर की गंभीरता	327

- अध्याय 13 **सदन में सीटों की व्यवस्था**
 बैठने की क्षमता 331
 पीठासीन अधिकारी की कुर्सी 332
 बैठने की सामान्य व्यवस्था 332
 सीटों का आवंटन 333
- अध्याय 14 **सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति**
 संवैधानिक उपबंध 339
 उपस्थिति पंजी (अटेंडेंस रजिस्टर) 339
 अनुपस्थिति की अनुमति देने की प्रक्रिया 340
 अनुपस्थिति की अनुमति के आवेदनों को निपटाया जाना 342
 अनुपस्थिति की अनुमति का न दिया जाना 343
 अनुपस्थिति के कारण सीट का रिक्त घोषित किया जाना 344
 उपसभापति, सभा के नेता तथा मंत्रियों की अनुपस्थिति 345
 मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त किसी सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति 346
 ऐसे सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति जिसने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान
 नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं 346
 ऐसे सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति जिसका त्याग-पत्र विचाराधीन है 346
 अनुपस्थिति की अनुमति को रद्द किया जाना 346
 अनुपस्थिति की अनुमति के दौरान दैनिक भत्ते का भुगतान 347
 सदस्यों की उपस्थिति के बारे में सूचना 347
 न्यायालयों को उपस्थिति पंजी में से सूचना उपलब्ध कराना 347
- अध्याय 15 **कार्य की व्यवस्था**
 सरकारी कार्य 350
 सभा पटल पर रखे गए पत्र 351
 अशुद्धियों को ठीक करने के लिए वक्तव्य 352
 ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए वक्तव्य 352
 लोक महत्त्व के मामलों पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 353
 व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 353
 समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव 354
 विधेयकों को पुरःस्थापित करने या वापस लेने के लिए प्रस्ताव 355

- विधान कार्य 355
- प्रस्ताव 355
- संकल्प 355
- चर्चाएं 356
- वित्तीय कार्य 357
- सरकारी कार्य का समय 357
- सरकारी कार्य की व्यवस्था 357
- सदन में किए जाने वाले सरकारी कार्य संबंधी वक्तव्य 359
- गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 361
- कार्यावलि 364
- अध्याय 16 दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि तथा अन्य उल्लेख**
- दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि 368
- विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा और उन्हें श्रद्धांजलि 378
- बधाइयां, प्रशंसा और अभिनन्दन 379
- राज्य सभा के महासचिव के बारे में उल्लेख 382
- विदेशों के संसदीय शिष्टमंडलों का स्वागत 383
- गंभीर अथवा महत्वपूर्ण अवसरों पर होने वाले उल्लेख 383
- त्रासद घटनाओं का उल्लेख 384
- निर्विरोध स्वीकृत किए गए संकल्प 385
- निवृत्त होने वाले सदस्यों को शुभकामनाएं और नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों का स्वागत 387
- सत्र की समाप्ति पर विदाई में कहे गए शब्द 387
- अध्याय 17 प्रश्न**
- प्रश्नों के लिए समय 397
- प्रश्नों के लिए समय नियत न करना 398
- बढ़ाई गई सत्रावधि के दौरान प्रश्नों का समय 399
- बैठक रद्द किये जाने के कारण प्रश्नों के समय का अन्तरण 400
- प्रश्नों के समय का निलम्बन 401
- प्रश्नों के समय का बढ़ाया जाना 403
- निर्धारित समय से पूर्व प्रश्नों का समय समाप्त होना 405
- प्रश्नों के समय के दौरान औचित्य-प्रश्न 405

कुछ आकस्मिकताओं में प्रश्नों का निपटारा	407
सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं	409
प्रश्नों की सूचना का रूप	410
मंत्रियों को सूचना भेजना	411
प्रश्नों की श्रेणियां	411
प्रश्नों की संख्या के संबंध में सीमा	412
प्रश्नों के लिए दिन नियत करना	413
गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न	414
प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें	414
प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में सभापति का निर्णय	421
प्रश्न-सूची और उसके लिए लॉटरी निकाला जाना	422
सदस्यों के नामों का एक साथ दिया जाना	424
एक ही विषय अथवा सहबद्ध विषयों से संबंधित प्रश्नों का समेकन	425
प्रश्नों के पुकारे जाने और पूछने का क्रम और रीति	425
समान प्रश्नों का एक साथ लिया जाना	426
प्रश्नों के उत्तरों की प्रतियों का उपलब्ध कराया जाना	427
मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिया जाना	428
प्रश्नों के समय के दौरान मंत्री का उत्तरदायित्व	430
प्रश्नों के उत्तरों का संशोधन	430
प्रश्नों का वापस लिया जाना या स्थगित किया जाना	432
प्रश्नों का अंतरण	434
अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न	435
प्रश्नों के समय के दौरान प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति	437
अनुपूरक प्रश्न	438
अनुपूरक प्रश्नों की संख्या की सीमा और प्रश्नों के समय के दौरान लिये जाने वाले प्रश्न	440
प्रश्नों के समय के दौरान हिन्दी तथा अंग्रेजी से भिन्न किन्हीं अन्य भाषाओं का प्रयोग	443
प्रश्नों के उत्तरों का समय से पहले प्रचार	444
अल्प सूचना प्रश्न	444
आधे घंटे की चर्चाएं	446

अध्याय 18	ध्यानाकर्षण
	राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव का न होना 462
	पत्रों के लिए प्रस्ताव की पुरानी प्रक्रिया 463
	ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया का शुरू किया जाना 464
	नियम 180 के उपबंध 465
	सूचनाएं देने की प्रक्रिया 465
	किसी सूचना का गृहीत किया जाना 466
	किसी सूचना का गृहीत न किया जाना 468
	किसी सूचना का रूपान्तरण और उसे किसी अन्य मंत्री को सौंपा जाना 468
	सूचनाओं की पूर्ववर्तिता 470
	सूचनाओं का व्यपगत हो जाना 471
	गृहीत सूचना के बारे में जानकारी 472
	एक दिन में एक से अधिक ध्यानाकर्षणों पर चर्चा 472
	ध्यानाकर्षण किए जाने का समय 473
	ध्यानाकर्षण का स्थगित किया जाना 474
	ध्यानाकर्षण की रीति 475
	सदन के भीतर वक्तव्य की प्रतियों को परिचालित किया जाना 476
	ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य 476
	अनुपस्थित सदस्य का ध्यानाकर्षण 479
	स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रक्रिया 480
	स्पष्टीकरण मांगने के लिए सदस्यों के पुकारे जाने का क्रम 480
	स्पष्टीकरणों का स्थगित किया जाना 481
	स्पष्टीकरण मांगे जाने के लिए समय-सीमा 482
	स्पष्टीकरणों का उत्तर 482
	वक्तव्यों का संशोधन या मुद्दों के बारे में और स्पष्टीकरण 483
	ध्यानाकर्षण समाप्त करने में लगने वाला समय 483
	ध्यानाकर्षण को चर्चा में परिवर्तित किया जाना 484
	न्यायालय में विचाराधीन मामले पर ध्यानाकर्षण 485
	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण विषय 486
अध्याय 19	शून्यकाल के उल्लेख
	परिभाषा 499
	आरंभ 500

	शून्यकाल का उद्देश्य	501
	शून्यकाल को विनियमित करना	502
	कार्य मंत्रणा समिति का मत	503
	नियम समिति की सिफारिशें	503
	वर्तमान प्रथा	504
	अनुवर्ती कार्यवाही	504
अध्याय 20	विशेष उल्लेख	
	प्रक्रिया कब और कैसे आरम्भ हुई	506
	प्रक्रिया	508
	सूचनाएं	508
	सभापति का विवेक	509
	प्रत्येक बैठक में विशेष उल्लेख के मामलों की संख्या	510
	विशेष उल्लेख करने का समय	511
	विशेष उल्लेख करने की रीति	511
	विशेष उल्लेख समाप्त करने की समय-सीमा	512
	विशेष उल्लेखों को एक दिन छोड़कर लिया जाना	512
	संसदीय समाचार-भाग 1 में विशेष उल्लेखों का समावेश	512
	विशेष उल्लेखों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही	512
अध्याय 21	विधान	
	विधेयक का प्ररूप	519
	विधेयकों के प्रकार	521
	किसी विधेयक के लिए आवश्यक बातें	521
	सदन की विधायी सक्षमता	522
	विधेयक के तीन वाचन	524
	राज्य सभा में आरम्भ किए जाने वाले सरकारी विधेयक	525
	विधायी नीति का निरूपण	525
	विधेयक को तैयार किया जाना	525
	सदन का चयन	526
	पुरःस्थापन से पूर्व विधेयक की संवीक्षा	526
	पुरःस्थापन से पूर्व विधेयक का प्रकाशन	528

- पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक की प्रतियों का परिचालन 528
- विधेयक का पुर:स्थापन (प्रथम वाचन) 529
- विधेयक के पुर:स्थापन के बाद उसका प्रकाशन एवं परिचालन 530
- विधेयक के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव (द्वितीय वाचन) 531
- विचार के लिए प्रस्ताव 531
- सार्वजनिक राय जानने के लिए परिचालन 532
- विधेयक को किसी प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंपे जाने हेतु प्रस्ताव 533
- पीठासीन अधिकारियों द्वारा किसी विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना 537
- विधेयक को विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को सौंपा जाना 537
- प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया 539
- स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया 539
- खण्डशः विचार किया जाना 540
- खंडों का संशोधन 540
- संशोधनकारी विधेयक में संशोधन 541
- निरसनकारी और संशोधनकारी विधेयक में संशोधन 542
- उन विधियों को जारी रखने संबंधी विधेयक में संशोधन किया जाना
जिनकी कालावधि समाप्त हो रही हो 542
- राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा वाले संशोधन 542
- संशोधनों की सूची 543
- संशोधनों का उपस्थित किया जाना, उन पर विचार किया जाना
और उनको वापस लिया जाना 544
- विधेयक का पारण (तृतीय वाचन) 544
- प्रत्यक्ष गलतियों का ठीक किया जाना 545
- विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन 545
- विधेयक का वापस लिया जाना 546
- विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना 548
- धन विधेयकों से इतर विधेयकों को लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटया जाना 548
- लोक सभा में आरम्भ होने वाले तथा राज्य सभा को पारेषित विधेयक 549
- विधेयकों को स्वीकृति 551
- विधेयक को स्वीकृति 552

- स्वीकृति को रोक लेना 552
- किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटायया जाना 552
- धन विधेयक और वित्तीय विधेयक 554
- धन विधेयक 554
- धन विधेयक की परिभाषा 554
- धन विधेयक का प्रमाणीकरण 555
- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 556
- धन विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने पर आपत्ति 559
- वित्तीय विधेयक 559
- श्रेणी "क" के वित्तीय विधेयक 559
- श्रेणी "ख" के वित्तीय विधेयक 560
- जो वित्तीय विधेयक नहीं हैं 561
- अनुच्छेद 117(1) के अधीन किसी विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने पर आपत्ति किया जाना 561
- वित्तीय विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपा जाना 562
- अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयक 563
- अध्यादेशों का प्रख्यापन 563
- सभा में आपत्ति उठाया जाना 563
- अध्यादेश का सभा पटल पर रखा जाना 564
- अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक 565
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 565
- सूचना 565
- प्रारूपण 566
- पूर्ववर्तिता 566
- पुरःस्थापन 567
- पुरःस्थापन के पश्चात् प्रस्ताव 568
- राष्ट्रपति की अनुशंसा 568
- वाद-विवाद का स्थगन 569
- राय जानने के लिए परिचालन 570
- पंजी 570

गैर-सरकारी सदस्यों के विधि में अधिनियमित विधेयक	571
संविधान संशोधन विधेयक	576
संविधान में संशोधन करने की संसद् की शक्ति	576
अनुच्छेद 368 की विशेषताएं	576
राज्य सभा में पुरःस्थापित किये गये संविधान संशोधन विधेयक	578
संशोधनों की श्रेणियां	580
साधारण बहुमत से संशोधन	580
विशेष बहुमत से संशोधन	580
विशेष बहुमत से संशोधन और राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन	582
अध्याय 22	संकल्प
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	589
सरकारी संकल्प	605
अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों अथवा समझौतों के अनुमोदन के लिए संकल्प	606
सरकार की कतिपय नीतियों की घोषणा अथवा अनुमोदन के लिए संकल्प	606
समितियों की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए संकल्प	607
परिनियत संकल्प	607
संविधान के अधीन संकल्प	608
अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए संकल्प (अनुच्छेद 123)	608
राज्य संबंधी विषय पर संसद द्वारा विधान बनाने के लिए संकल्प (अनुच्छेद 249)	609
अनुच्छेद 249 के संबंध में सरकारिया आयोग के विचार	611
अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संकल्प (अनुच्छेद 312)	611
आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ संकल्प (अनुच्छेद 352)	612
किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ संकल्प (अनुच्छेद 356)	613
वित्तीय आपात्काल की उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संकल्प (अनुच्छेद 360)	619
संसद् के अधिनियमों के अधीन संकल्प	619

	संकल्पों का प्रभाव अथवा बल	620
अध्याय 23	प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा	
	प्रस्ताव	628
	परिभाषा और वर्गीकरण	628
	प्रस्तावों से संबंधित सामान्य नियम	629
	अनियत दिन वाले प्रस्ताव	630
	प्रस्ताव पर चर्चा	631
	प्रस्ताव की पुनरावृत्ति और इसे वापस लिया जाना	632
	विलम्बकारी प्रस्ताव	632
	संशोधन	633
	प्रस्ताव की विषय-वस्तु	634
	10 अगस्त, 1978 को स्वीकृत हुए प्रस्ताव की प्रगति	634
	गुजरात में हिंसा की अवस्थिति के संबंध में प्रस्ताव	638
	सरकारी प्रस्ताव	638
	परिनियत प्रस्ताव	639
	अल्पकालिक चर्चा	640
	अनियत दिन वाले प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा—अंतर	641
	महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अल्पकालिक चर्चा	642
अध्याय 24	वित्तीय विषयों संबंधी प्रक्रिया	
	बजट	650
	बजट सेटों का वितरण	650
	वित्त विधेयक का कथित रूप से पहले ही पता चल जाना	651
	बजट का कथित रूप से पहले ही पता चल जाना	651
	बजट पर सामान्य चर्चा	652
	मंत्रालयों के कार्यक्रम पर चर्चा	652
	विनियोग और वित्त विधेयक	653
अध्याय 25	समितियां	
	समिति की सामान्य संरचना	656
	राज्य सभा में समितियां सामान्यतः किस प्रकार गठित की जाती हैं	659
	पृथक् समितियां	660

- कार्य मंत्रणा समिति 660
- याचिका समिति 667
- विशेषाधिकार समिति 672
- आचार समिति 678
- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 682
- सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 692
- सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 697
- आवास समिति 702
- नियम समिति 704
- सामान्य प्रयोजन समिति 708
- राज्य सभा के सदस्यों हेतु कम्प्यूटरों के प्रावधान संबंधी समिति 710
- संसद् सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति 710
- विधेयकों संबंधी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां 711
- विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां 724
- वित्तीय तथा अन्य समितियां जिनमें राज्य सभा का प्रतिनिधित्व रहता है 730
- लोक लेखा समिति 730
- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 732
- रेलवे अभिसमय समिति 732
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 733
- लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 733
- पुस्तकालय समिति 734
- महिला सशक्तीकरण समिति 734
- सांविधिक संयुक्त समितियां 735
- संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति 735
- राजभाषा संबंधी संयुक्त संसदीय समिति 735
- न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 संबंधी तदर्थ संयुक्त समिति 736
- राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियमों के अधीन
गठित तदर्थ परामर्शदात्री समितियां 736
- तदर्थ समितियां 736
- राज्य सभा द्वारा गठित समिति 736

	सभापति द्वारा नियुक्त समिति	736
	प्रस्तावों द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त समितियां	737
	पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियुक्त संयुक्त समितियां	737
	परामर्शदात्री समितियां	739
	सरकारी समितियां	740
अध्याय 26	प्रक्रिया के सामान्य नियम	
	सूचनाएं	765
	राष्ट्रपति की सिफारिश	767
	सदस्यों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियम	767
	न्यायाधीन मामलों पर चर्चा	768
	किसी राज्य में मंत्री के रूप में नियुक्त किये गये सदस्य का कार्यवाही में भाग लेना	769
	किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाना	769
	व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	771
	भाषणों का क्रम और उत्तर का अधिकार	775
	समापन	775
	वाद-विवाद की परिसीमा	776
	निर्णय के लिये प्रश्न	776
	सभा पटल पर पत्रों का रखा जाना	777
	मंत्रियों द्वारा पत्रों का रखा जाना	777
	मंत्रियों के बीच हुए पत्राचार का सभा पटल पर रखा जाना	778
	राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्राचार को सभा पटल पर रखा जाना	780
	राज्य के पत्राचार को सभा पटल पर रखना	780
	सभा पटल पर पत्र को रखने की सक्षमता	780
	महासचिव द्वारा सभा पटल पर पत्रों का रखा जाना	782
	गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पत्रों का रखा जाना	787
	गोपनीय दस्तावेजों (सी.बी.आई. रिपोर्ट) को पटल पर रखा जाना अथवा उसमें से उद्धृत करना	789
	मंत्री द्वारा वक्तव्य	790
	मत-विभाजन	793
	मत-विभाजन की घंटियों का संचालन	795
	मत-विभाजन के दौरान किसी भाषण का नहीं किया जाना	796
	मत-विभाजन की अनुमति नहीं देने का सभापति का स्वनिर्णय	796
	स्वचालित मतांकन यंत्र (ऑटोमैटिक वोट-रिकॉर्डर) द्वारा मत-विभाजन	796

पर्चियों के वितरण के माध्यम से मत-विभाजन	798
लॉबियों में जाने के माध्यम से मत-विभाजन	799
“उपस्थित और मतदान” के लिए अनुपस्थिति की गणना न किया जाना	799
पीठासीन अधिकारियों द्वारा मत दिया जाना	799
पीठासीन अधिकारी/समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जाना	800
औचित्य प्रश्न	800
भूमिका	800
औचित्य प्रश्न क्या होता है	801
राज्य सभा के नियमों में उपबंध	801
औचित्य प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है	801
औचित्य प्रश्न उठाये जाने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	802
औचित्य प्रश्न कौन उठा सकता है	802
औचित्य प्रश्न क्या नहीं होता या औचित्य प्रश्न किस समय नहीं उठाया जाना चाहिए	803
जो कार्य सदन के समक्ष न हो उसके बारे में औचित्य प्रश्न नहीं होता है	803
किसी औचित्य प्रश्न के संबंध में कोई औचित्य-प्रश्न नहीं पूछा जाएगा	804
सभापति के विचाराधीन किसी मामले के संबंध में किसी औचित्य प्रश्न का न पूछा जाना	804
मंत्री की टिप्पणी पर प्रश्न पूछने के लिए किसी औचित्य-प्रश्न का नहीं उठाया जाना	804
प्रश्न-काल तथा आधे घंटे की चर्चा के दौरान	804
मत-विभाजन के दौरान	804
प्रक्रिया के संबंध में परामर्श का अनुरोध	804
अन्य अवसर अथवा स्थितियां	805
आधिकारिक कार्यवाहियों का विवरण तैयार करना	806
कार्यवाही का वृत्तलेखन	806
समितियों की कार्यवाहियों का अभिलेखन	808
सभा की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना	808
सभा की कार्यवाही से निकाला जाना तथा बाद में पुनः शामिल किया जाना	811
राज्य सभा और उसकी दीर्घाओं आदि में अनजान व्यक्तियों का प्रवेश	812
नियमों का निलंबन	814
सभापति की अवशिष्ट शक्तियां	815

अध्याय 27	राज्य सभा की विभिन्न सेवाएं
	राज्य सभा सचिवालय 826
	भर्ती और सेवा शर्तें नियम 827
	भर्ती प्रक्रिया 829
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 830
	विस्तृत संगठनात्मक ढांचा 830
	वेतन और लेखा कार्यालय 837
	राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 838
	राज्य सभा का बजट 838
	परिशिष्ट-राज्य सभा के सत्र 841
	विषय-अनुक्रमणिका 849